प्रेसनोट –
दिनांक- 09.09.2026

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 09.09.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2026, वाद सं0- 2092/2025 सरकार बनाम हरिकेश, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त हरिकेश पुत्र धनराज निवासी बैराठपुर रैनी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को 03 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

जिला बदर अभियुक्त का विवरण

1. हरिकेश पुत्र धनराज निवासी बैराठपुर रैनी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 208/2021 धारा 323/352/452/504/506 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 40/2024 धारा 34/323/504/506 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 99/2025 धारा 110/115(2)/333/351(3) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला, मऊ।

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक – 09.09.2026

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम/खोये हुए कुल 17 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत लगभग- 3,40,000/- को बरामद कर वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.09.2026 को गुम/ खोये हुए 17 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत- 3,40,000/- (तीन लाख चालिस हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

***विवरण*-** CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस की साइबर टीम द्वारा तकनीकी माध्यम से गुमशुदा मोबाइल फोनों की लगातार निगरानी एवं खोजबीन की गयी। पुलिस टीम के अथक प्रयास से कुल 17 अदद गुमशुदा स्मार्ट मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कुल कीमत करीब 3,40,000/- रुपये है, बरामद किये गये। बरामद किये गये मोबाइल फोन के सम्बन्ध में आवश्यक सत्यापन एवं विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उनके वास्तविक स्वामियों की पहचान कर उपस्थित आये स्वामियों को उनके मोबाइल फोन सुपुर्द किये गये। अपना गुम मोबाइल फोन वापस पाकर मोबाइल स्वामियों द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं साइबर टीम की कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितों का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 65,256/- (पैसठ हजार दो सौ छप्पन रुपया) पीडितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 09.09.2026 को मोबाइल हैक कर यूपीआई के माध्यम से पीड़ितों /आवेदको के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 65,256/- (पैसठ हजार दो सौ छप्पन रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना दक्षिणटोला साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदिका गजाला परवीन पत्नी वसीम अहमद निवासी ग्राम प्यारेपुरा थाना दक्षिणटोला, मऊ को कुल धनराशि – 20,812/- रूपया वापस कराया गया।

2.थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक रामचन्द्र यादव पुत्र सोहन यादव निवासी भवरेपुर थाना सरायलखन्सी, मऊ को कुल धनराशि – 44444/-रूपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 09.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1 परदेशी प्रजापति पुत्र स्व बाढ़ू प्रजापति निवासी जयरामगण तिराहा 02. बलिराज यादव पुत्र द्वारिका यादव निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

2.थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. -राहुल पुत्र रमेश निवासी सुतरही थाना मु.बाद गोहना 2. दुर्गविजय उर्फ विजय यादव पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी फरीदपुर थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ।

3.थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शशांक सिंह पुत्र स्व0 रणधीर सिंह निवासी पड़री थाना रानीपुर जनपद मऊ।

4.थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुरेश मौर्या पुत्र श्यामदेव मौर्या निवासी जलालपुर भटमिला थाना घोसी जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 09.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 31 टीम गठित कर जनपद के 31 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1420 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 590 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 04 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, दवा देकर गर्भपात करा देना एवं निकाह करने की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देने वाले 01 अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0 118/2023 धारा 376,313,506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 09.09.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी 1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, दवा देकर गर्भपात करा देना एवं निकाह करने की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी अभियुक्त फुरकान रजा पुत्र इकबाल अहमद निवासी भीरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 30,000/- रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया |

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट करने हेतु 13 लाख रुपए लेना व मांगने पर मारने पीटने वाले 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा का दंड व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0- 25/2020 धारा- 323,409,420,467,468,471 भादवि0 थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 09.09.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट करने हेतु 13 लाख रुपए लेना व मांगने पर मारने पीटने दोषी अभियुक्त भजराम पुत्र गोपी निवासी गौरी नारायनपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा का दंड व 10,000/- रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया |

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पशुओ के प्रति क्रुरता करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 50/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0- 131/2023 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 09.09.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा पशुओं के प्रति क्रुरता करने वाले दोषी अभियुक्त सद्दाम खां पुत्र सोदीन निवासी माहपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा व 50/- रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया |